



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E_mail: bsgmadhypradesh@gmail.com Phone : 2661263, Fax: 2737446

क्र० ५१३१ /समु/प्रशि०स्का०/२०१५ -१६

भोपाल, दिनांक २९/९/२०१५


- जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड
जिला(म०प्र०) ।
2 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
संभागीय कार्यालय (म०प्र०) ।
बेसिक फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बाबत ।
सत्र २०१५-२०१६ के प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमानुसार ।

-०-

राज्य के प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार राज्य स्तर पर बेसिक फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक २४ से ३० अक्टूबर २०१५ तक, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल में किया जा रहा है । शिविर की अन्य जानकारी निम्नानुसार है-

1	शिविर का नाम	बेसिक फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविर
2	अवधि	दिनांक २४ से ३० अक्टूबर २०१५ तक
3	स्थान	राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल
4	उपस्थिति	दिनांक २४ अक्टूबर २०१५ को दोपहर भोजन के पूर्व
5	नापस	दिनांक ३० अक्टूबर २०१५ को दोपहर भोजन पश्चात्
6	शुल्क	शिविर शुल्क रू० ५२५/- विकास+विशेष शुल्क रू० १००/- कुल राशि रू० ६२५/- प्रति सदस्य समस्त व्यय शालेय स्का./गा.निधि से देय होगा । शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी । चयनित प्रतिभागियों को संकुल केन्द्र/जिला संघ से यात्रा अग्रिम राशि रू० १०००/- प्रदाय करें जिसका समायोजन शिविर से वापिस होने के बाद किया जावे ।
		प्रति जिला ४ फ्लाक लीडर चयनित प्रतिभागियों की सूची दिनांक ५ अक्टूबर २०१५ तक अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें ।
		ए०पी०आर०ओ०भाग-३ के अनुसार पूर्ण व्यवस्थित यूनिफार्म, नीली साड़ी, सफेद ब्लाउज, काली जूती, कमल मोजे, ब्राउन नायलोन बेल्ट, वागल, स्कार्फ,, मौसम के अनुसार हल्का बिस्तर व पहनने के कपड़े, बरसाती, मच्छरदानी, भोजन करने के बर्तन, वाटर बाटल, मग, चम्मच, ओडोमॉस, दैनिक उपयोग की प्रसाधन सामग्री, आवश्यक दवाईयां, नोटबुक, पेन, पेन्सिल, डाइंगशीट, स्केच पेन, ३ मीटर रस्सी, आदि ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने संभाग/जिले की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराते हुये शिविर में भागस्मलित होने वाले प्रतिभागियों की सूची दिनांक ५ अक्टूबर २०१५ तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।


राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक २९/९/२०१५

क्र० ५१३२ /समु/प्रशि०स्का०/२०१५ -१६

- सूचना - सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु-
राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग(म०प्र०) ।
संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास(म०प्र०) ।
जिला सचिव/जिला संगठक/प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट/गाइड)(म०प्र०) ।
वार्डन राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल ।
लेखा/स्थापना शाखा राज्य मुख्यालय भोपाल ।


राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश